प्रेषक,

नगर आयुक्त,
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

सेवा में,

मे0रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0
77बी, तृतीय तल इपको मार्ग, सेक्टर–18, गुडगाँव
हरियाणा–122015

पत्रांक : 396 / कार्या.पत्रा.–पी.ए. / न.नि. / 2013–14 दिनांक : 1–16– 2013

विषय : मे0रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा झाँसी नगर में ओपन ट्रेंच तकनीकी द्वारा ओ0एफ0सी0 डाले जाने हेतु प्रस्तावित रोड रेस्टोरेशन हेतु अतिरिक्त बैंक गारण्टी / जमानत धनराशि जमा करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्र दिनांक 19.09.2013 का अवलोकन करने कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा विभिन्न स्थलों पर ओपन ट्रेंच द्वारा रोड कटिंग की अनुमति चाही गयी है, जिसकी लम्बाई निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पिट	लम्बाई	क्षेत्रफल	दर प्रति यूनिट	धनराशि (रु0 में)	अतिरिक्त बैंक गारण्टी
1	पक्की सड़क (डैस, टाइल्स एवं खडन्जा / सी.सी.)	69740	69740x 1= 69740	704.00	49096960.00	-
2	पूर्व में जमा की गई बैंक गारण्टी / जमानत धनराशि				5727084.00	43369876.00
	कुल जमानत धनराशि					43369876.00

अतः उक्त की बैंक गारण्टी / जमानत धनराशि धनांक रु0 43369876 / –का बनाया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि की बैंक गारण्टी / जमानत धनराशि नगर निगम से कार्य संतोषजनक होने की एन0ओ0सी0 प्राप्त होने की अवधि तक के लिए यथाशीघ्र नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी के पक्ष में उक्त बैंक गारण्टी / जमानत धनराशि जमा करने का कष्ट करें ताकि रोड कटिंग की अनुमति दी जा सके। साथ ही उक्त अनुमति निम्न शर्तों पर दी जायेगी –

कार्यालयः— झॉसी नगर निगम झॉसी।

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम झॉसी।

सेवा में,

आईडिया सेल्युलर प्रा0लि0
फोरचूयनर टावर्स 10 राना प्रताप मार्ग
लखनऊ 226001 (उ0प्र0)

पत्रांक 719 / जनकार्य वि0 / न0नि0 2016—17 दिनांक :— 04 / 03 / 2017

विषय :— **रोड कटिंग कीअनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि आपके द्वारा रोड कटिंग के सम्बंध में दिनांक 30.12.2016 को प्रेषित पत्र के क्रम में धनराशि रू 3057150.00 (रूपया तीस लाख सत्तावन हजार एक सौ पचास मात्र) ड्राफ्ट सं 774374 दिनांक 14.02.2017 को नगर निगम झॉसी में जमा किया गया है, जिसके क्रम में आपको वार्ड नं0 44 पुलिस चौकी ईदगाह के पास ग्वालियर रोड से दतिया गेट से फिल्टर रोड होते हुये विष्णु बिहार कालोनी आईडिया के टावर तक रोड काटिंग की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के आधार पर दी जाती है। उपरोक्त अवधि दिनांक 30.06.2017 तक ही मान्य होगी।

01. उक्त स्थल पर करायी गयी रोड कटिंग को खुली ट्रेंच नही छोड़ी जायेगी, प्रतिदिनक कटिंग उपरान्त कटिंग को भरना होगा। तथा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि आपके विभाग द्वारा दो माह के उपरान्त सड़क पटरी पर केबलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
02. रोड़ काटिंग वर्षा काल में न किया जायें।
03. रोड़ काटिंग करने के साथ —साथ रोड कटिंग कार्य मानक के अनुसार पूर्ण किया जाय जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
04. आपके द्वारा पत्र में उल्लेख किये गये स्थल के अतिरिक्त यदि रोड कटिंग की जाती है तो अनुमति निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
05. रोड कटिंग के दौरान यदि किसी निजी / सरकारी / अर्द्धसरकारी / अन्य किसी की सम्पत्ति जैसे पाइप लाईन केबिल टेलीफोन लाइन नाली बाउण्ड्रीय इत्यादि की किसी भी प्रकार की क्षति पहुचंती है तो उसे अविलम्ब आपको अपने स्तर से ठीक कराना होगा।
06. डामर सड़क की कटिंग न की जाय।
07. किसी बड़े त्यौहार पर कम्पनी द्वारा रोड कटिंग कार्य नही किया जायेगा।
08. उपरोक्त अनुमति कुल लम्बाई 1600 मी0 के लिए मान्य होगी, इसके अतिरिक्त यदि कटिंग की जाती है तो जुर्माना सहित धनराशि जमा करनी होगी।

संलग्नक :— साईड प्लान एवं स्थल की छाया प्रति।

भवदीय,
4/3/17

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम झॉसी।

सेवा में,

मे0 भारतीय एयरटेल सर्विसेज लिमिटेड
एयरटेल कैम्पस टी0सी0जी07/7
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

पत्रांक 570 /जनकार्य वि0/न0नि0 2016–17 दिनांक :– 13/12/2016

विषय :– **रोड कटिंग कीअनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा रोड कटिंग के सम्बंध में दिनांक 17.10.2016 को प्रेषित पत्र के क्रम में धनराशि रू 18,52,320.00 (रूपया अठारह लाख बावन हजार तीन सौ बीस मात्र) ड्राफ्ट सं 190609 दिनांक 07.11.2016 को नगर निगम झॉसी में जमा किया गया है, जिसके क्रम में आपको रोड काटिंग की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के आधार पर दी जाती है। उपरोक्त अवधि दिनांक 30.04.2017 तक ही मान्य होगी।

01. उक्त स्थल पर करायी गयी रोड कटिंग को खुली ट्रेंच नही छोड़ी जायेगी, प्रतिदिनक कटिंग उपरान्त कटिंग को भरना होगा। तथा शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि आपके विभाग द्वारा दो माह के उपरान्त सड़क पटरी पर केबलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
02. रोड़ काटिंग वर्ष काल में न किया जायें।
03. रोड़ काटिंग करने के साथ –साथ रोड कटिंग कार्य मानक के अनुसार पूर्ण किया जाय जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
04. आपके द्वारा पत्र में उल्लेख किये गये स्थल के अतिरिक्त यदि रोड कटिंग की जाती है तो अनुमति निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
05. रोड कटिंग के दौरान यदि किसी निजी/सरकारी/अर्द्धसरकारी/अन्य किसी की सम्पत्ति जैसे पाइप लाईन केबिल टेलीफोन लाइन नाली बाउण्ड्रीय इत्यादि की किसी भी प्रकार की क्षति पहुचती है तो उसे अविलम्ब आपको अपने स्तर से ठीक कराना होगा।
06. डामर सड़क की कटिंग न की जाय।
07. किसी बड़े त्यौहार पर कम्पनी द्वारा रोड कटिंग कार्य नही किया जायेगा।
08. उपरोक्त अनुमति कुल लम्बाई 1600 मी0 के लिए मान्य होगी, इसके अतिरिक्त यदि कटिंग की जाती है तो जुर्माना सहित धनराशि जमा करनी होगी।

संलग्नक :– साईड प्लान एवं स्थल की छाया प्रति।

भवदीय,